

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बाराबंकी

पत्रांक :- 1050/1 काम/2022-23

दिनांक : 13-05-2022

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता
अयोध्या-अम्बे0 वृत्त, लो0नि0वि0,
अयोध्या।

विषय : जनपद बाराबंकी में हैदरगढ़-रामसनेहीघाट मार्ग (प्र0जि0मा0-003सी) के कि0मी0 9 (चै0 8.523 कि0मी0) पर Reliance BP Mobility Limited, UPE द्वारा ग्राम भीखरपुर, पोस्ट-भीखरपुर, तहसील-रामसनेहीघाट, जिला बाराबंकी के गाटा सं0-185 पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी के पत्र संख्या-08/शस्त्रलि0/2021/पे0प0एन0ओ0सी0 दिनोंक 15 फरवरी, 2022 एवं Reliance BP Mobility Limited Ref. No. UPE/Ram Sanehi Ghat/LOI Dated 03-03-2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र हैदरगढ़-रामसनेहीघाट मार्ग (प्र0जि0मा0-003सी) के कि0मी0 9 (चै0 8.523 कि0मी0) पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्राप्त हुआ है। प्रस्तावित आउटलेट हैदरगढ़-रामसनेहीघाट मार्ग (प्र0जि0मा0-003सी) के कि0मी0 9 (चै0 8.523 कि0मी0) के बायी ओर ग्राम भीखरपुर, पोस्ट-भीखरपुर, तहसील-रामसनेहीघाट, जिला बाराबंकी गाटा सं0-185 स्थित है। मार्ग के लेपित सतह की चौड़ाई 7.00 मीटर एवं मार्ग UNDIVIDED CARRIAGEWAY है। प्रस्तावित आउटलेट से 154 मीटर की दूरी पर बांयी तरफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का आउटलेट पूर्व से स्थापित एवं क्रियाशील है, जबकि शासन के पत्र संख्या-1882/23-12-19-1365/17टीसी लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ दिनोंक 04 दिसम्बर, 2019 द्वारा निर्गत नई गाइड लाइन के अनुसार एक आउटलेट से दूसरे आउटलेट के बीच की न्यूनतम दूरी 300 मीटर निर्धारित है, जिस कारण सम्पूर्ण प्रकरण जो कि जिलाधिकारी के कार्यालय पत्र संख्या-808/श0लि0/2021पे0प0एन0ओ0सी0 दिनोंक 23-11-2021 द्वारा प्राप्त हुआ था, इस कार्यालय के पत्रांक-172/1ए0/2022 दिनोंक 17-01-2022 द्वारा मूलरूप में जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी को वापस कर दिया गया था।

उक्त प्रकरण कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी के पत्र संख्या-08/शस्त्रलि0/2021/पे0प0एन0ओ0सी0 दिनोंक 15 फरवरी, 2022 द्वारा Reliance BP Mobility Limited Ref. No. UPE/Ram Sanehi Ghat/LOI Dated 03-03-2021 संलग्नक सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः प्राप्त हुआ है।

प्रस्तुत मानचित्र वर्तमान में प्रचलित शासनादेश दिनोंक 04 दिसम्बर, 2019 के संलग्नक बिन्दु

संख्या-

"4.6.3 If two or more fuel stations are to be sited in close proximity for some reasons these would be grouped together to have a common access through a service road of 7.0m width and connected to the State Roads through acceleration, deceleration lanes. From these considerations, the permission for the new fuel would be considered only if it is either in proximity to the existing one so that the common access can be provided or the new one located at a distance of more than 1000m. Any objection from the existing fuel station owner against granting of access permission for the proposed new fuel station are to be overruled and access to all fuel stations in case of clustering, shall invariably be from the service road only. Wherever longer service road exists which may itself act as deceleration / acceleration lane, no separate deceleration / acceleration lane is required.

4.6.4 For installation of new fuel station within the 1000 m distance of existing fuel station in plain/rolling terrain and 300 m in hilly/mountainous terrain and urban stretch, new entrant would be responsible for construction and maintenance of the common service road, deceleration & acceleration lanes, drainage and traffic control devices. Wherever, available ROW is inadequate to accommodate such service roads, deceleration / acceleration lanes, etc. the additional land by the side of ROW to accommodate such service roads shall also be acquired by the new entrant Oil Company. In case of hilly / mountainous terrain, common service roads at all such locations may not be possible as per the site conditions and, therefore, common access through service roads would not be a precondition" के अनुरूप प्रस्तुत करते हुए समीपस्थ क्रियाशील पेट्रोल पम्प (BPCL) जो कि लगभग 154 मी0 की दूरी पर स्थित है, को एक साथ समूहीकृत (grouped together) करते हुए सभी ईंधन स्टेशनों को 7.00 मी0 चौड़ाई में सामूहिक सर्विस रोड बनाने का प्राविधान किया गया है। तदनुसार मानचित्र के अनुसार निर्माण एवं रख-रखाव का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्तानुसार शासनादेश संख्या 1882/23-12-19-1365/17 टीसी लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ दिनोंक 04 दिसम्बर, 2019 के बिन्दु संख्या 4.6.3 एवं 4.6.4 के क्रम में संस्तुति सहित मूल में अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

For Reliance BP Mobility Limited
Pankaj Singh

14/6/22
Authorised Signatory

क्रमशः पेज 02 पर

- 1- प्रस्तावित निर्माण हैदरगढ़-रामसनेहीघाट मार्ग (प्रोजेक्ट-003सी) के किमी 9 (चै 8.523 किमी) पर बांयी तरफ मध्य मार्ग से 22.86 मीटर की दूरी की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।
- 2- प्रस्तावित निर्माण तक पहुँच मार्ग एवं सड़क के पानी निकासी हेतु चौकोर नाली एवं एक मीटर स्पान की पुलिया का निर्माण स्वामी को स्वयं अपने व्यय से अन्य निर्माण कार्य करने के पूर्व करना होगा।
- 3- प्रस्तावित निर्माण का कुर्सी तल मार्ग की सतह से 30 सेमी नीचा रखा जायेगा।
- 4- निर्माण स्थल के सामने मुख्य मार्ग के बीच में बची हुई भूमि पर कोई कम्पनी आदि का बोर्ड एवं बिजली आदि के पोल नहीं लगाये जायेंगे।
- 5- निर्माण स्थल के पानी का बहाव मार्ग की दिशा में नहीं होगा।
- 6- प्रस्तावित निर्माण कार्य Reliance BP Mobility Limited, UPE द्वारा प्रस्तुत मानचित्र के अनुरूप ही कराया जाय, जिसमें दोनों पेट्रोल पम्प को एक साथ समूहीकृत करते हुए 7.00 मी चौड़ाई में सामूहिक सर्विस रोड कम्पनी/प्राधिकारी को स्वयं के व्यय पर बनाना होगा तथा आईआरसी पब्लिकेशन का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
- 7- भू-स्वामित्व की जिम्मेदारी लोनिवि 0 पर नहीं होगी। भू-स्वामित्व का परीक्षण एवं सत्यापन सम्बन्धित राजस्व विभाग अपने स्तर पर सुनिश्चित करेगा। भू-स्वामित्व होने पर ही नक्शा एवं निर्माण कार्य वैध माना जायेगा।
- 8- लोक निर्माण विभाग की सरकारी भूमि जो रिटेल आउटलेट के पहुँच मार्ग के रूप में उपयोग होगी उसको सदैव सही दशा में प्राधिकारी (लाइसेंस धारक) को रखना होगा तथा इसका स्वामित्व उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग का रहेगा।
- 9- लीज एग्रीमेंट की सभी शर्तें प्राधिकारी (लाइसेंस धारक) को मानने हेतु बाध्यकारी होगी एवं लीज समाप्त होने पर पुनः नियमानुसार नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा।
- 10- उपरोक्त शर्तों के आधार पर निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य करने का प्रमाण-पत्र स्वामी द्वारा उपलब्ध कराना होगा।
- 11- प्रस्तावित निर्माण कार्य एक वर्ष तक न होने पर स्वामी को पुनः अनुमति लेना होगा।
- 12- उपरोक्त सभी निर्देशों अथवा एक भी निर्देश, MORTH द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं उप्र शासनादेश संख्या-1882/23-12-19-1365/17टीसी दिनांक 04-12-2019 का पालन न करने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा विभाग किसी भी प्रकार की हानि आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और विभाग के विरुद्ध कुछ भी क्लेम नहीं किया जा सकता है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार,

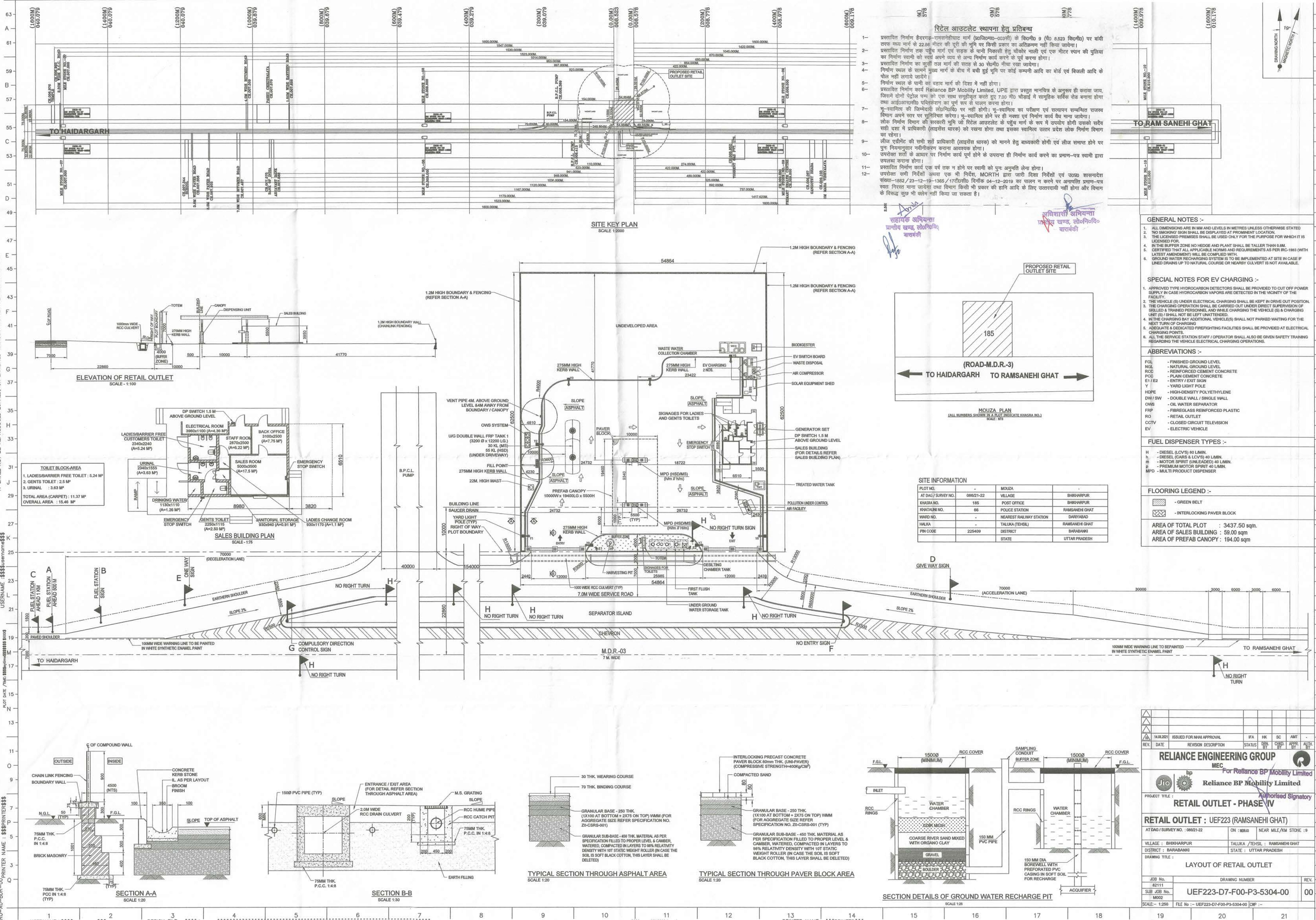
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोनिवि 0,
बाराबंकी
दिनांक :

पत्रांक :-

- 1- प्रतिलिपि जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी को उनके पत्र संख्या-08/शस्त्रलि 0/2021/पे 0प 0एन 0ओ 0सी 0 दिनांक 15 फरवरी, 2022 के क्रम में सूचनार्थ।
- 2- प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(प्रथम), प्रान्तीय खण्ड, लोनिवि 0, बाराबंकी।
- 3- प्रतिलिपि अवर अभियन्ता(प्रा 0), प्रान्तीय खण्ड, लोनिवि 0, बाराबंकी।

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोनिवि 0,
बाराबंकी

Pankaj Singh
For Reliance BP Mobility Limited
14/6/22
Authorised Signatory

[illegible]

प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०
बाराबंकी

1. ALL DIMENSIONS ARE IN MM AND LEVELS IN METRES UNLESS OTHERWISE STATED
2. NO SMOKEING SIGN SHALL BE DISPLAYED AT PROMINENT LOCATION.
3. THE LICENSED PREMISES SHALL BE USED ONLY FOR THE PURPOSE FOR WHICH IT IS LICENSED FOR.
4. IN THE BUFFER ZONE NO HEDGE AND PLANT SHALL BE TALLER THAN 0.6M.
5. CERTIFIED THAT ALL APPLICABLE NORMS AND REQUIREMENTS AS PER IRC-1983 (WITH LATEST AMENDMENT) WILL BE COMPLIED WITH.
6. GROUND WATER RECHARGING SYSTEM IS TO BE IMPLEMENTED AT SITE IN CASE IF LINED DRAINS UP TO NATURAL COURSE OR NEARBY CULVERT IS NOT AVAILABLE.

1. APPLIED TYPE HYDROCARBON DETECTORS SHALL BE PROVIDED TO CUT OFF POWER TO THE VEHICLE(S) IN CASE HYDROCARBON VAPORS ARE DETECTED IN THE VICINITY OF THE FACILITY.
2. THE VEHICLE(S) UNDER ELECTRICAL CHARGING SHALL BE KEPT IN DRIVE OUT POSITION.
3. THE CHARGING OPERATION SHALL BE CARRIED OUT UNDER DIRECT SUPERVISION OF SKILLED & TRAINED PERSONNEL AND WHILE CHARGING THE VEHICLE(S) & CHARGING UNIT(S) SHALL NOT BE LEFT UNATTENDED.
4. IN THE CHARGING BAY ADDITIONAL VEHICLE(S) SHALL NOT PARKED WAITING FOR THE NEXT TURN OF CHARGING.
5. ADEQUATE & DEDICATED FIREFIGHTING FACILITIES SHALL BE PROVIDED AT ELECTRICAL CHARGING POINTS.
6. ALL THE SERVICE STATION STAFF / OPERATOR SHALL ALSO BE GIVEN SAFETY TRAINING REGARDING THE ELECTRICAL CHARGING.

FGI	- FINISHED GROUND LEVEL
NGL	- NATURAL GROUND LEVEL
RC	- REINFORCED CEMENT CONCRETE
PGC	- PLAIN CEMENT CONCRETE
E1/E2	- ENTRY / EXIT SIGN
Y	- YARD LIGHT POLE
HDPE	- HIGH-DENSITY POLYETHYLENE
DW / SW	- DOUBLE WALL / SINGLE WALL
OWS	- OIL WATER SEPARATOR
FRP	- FIBREGLASS REINFORCED PLASTIC
RR	- RETAIL OUTLET
CCTV	- CLOSED CIRCUIT TELEVISION
EV	- ELECTRIC VEHICLE

H	- DIESEL (LCV'S) 80 L/MIN.
h	- DIESEL (CARS & LCV'S) 40 L/MIN.
m	- MOTOR SPIRIT (UNLEADED) 40 L/MIN.
p	- PREMIUM MOTOR SPIRIT 40 L/MIN.
MPD	- MULTI PRODUCT DISPENSER

 - GREEN BELT

 - INTERLOCKING PAVER BLOCK

AREA OF SALES BUILDING : 59.00 sqm
AREA OF PREFAB CANOPY : 194.00 sqm

PLOT NO.	-	MOUZA	-
AT DAG/ SURVEY NO.	086/21185	VILLAGE	BHIGHARPUR
KHASRA NO.	122	POST OFFICE	BHIGHARPUR
KHATAJUNI NO.	66	POLICE STATION	RAMSANEHI GHAT
WARD NO.	-	NEAREST RAILWAY STATION	DARIBABAD
HALKA	-	TALUKA (TEHSIL)	RAMSANEHI GHAT
PIN CODE	225409	DISTRICT	BARABANKI
		STATE	UTTAR PRADESH

Diagram illustrating a road cross-section. The road surface is labeled "70000 (ACCELERATION LANE)". To the left of the road is a "NORTHERN SHOULDER". A dashed line indicates the boundary between the road and the shoulder. A small black triangle is positioned on the road surface near the shoulder. Below the road surface, a series of chevron symbols (V-shapes) are shown, indicating a transition or slope. A vertical line segment is also present on the right side of the diagram.

[illegible]